

राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग  
क्रमांक : प.6(3)राज.-6/2020/96

जयपुर, दिनांक : 26/5/2022

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व (लवणीय क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के नियम 6 के उप-नियम (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित भूमियों के क्षेत्र को, जिसे राजस्व (ख) विभाग की आज्ञा क्रमांक प.2(168)राज/ख/ग्रुप-3/71 दिनांक 15.02.1973 से लवण क्षेत्र घोषित किया गया था, को तत्काल प्रभाव से लवणीय क्षेत्र से वापिस लेती है:-

अनुसूची

ग्राम	तहसील	जिला	खसरा नं.	किस्म	क्षेत्रफल	लवणीय क्षेत्र से वापिस लिया जाने वाला क्षेत्रफल
सांभरा	पचपदरा	बाडमेर	304/280	गैर मुमकिन खार	705-17 बीघा	5-00 बीघा

राज्यपाल की आज्ञा से,

(एम0 रत्न)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग।
4. आयुक्त, उद्योग विभाग।
5. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
6. जिला कलक्टर, बाडमेर।
7. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण अंक मे दिनांक 26.05 2022 में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
9. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
10. राविरा, राजस्व मण्डल, अजमेर।
11. समस्त संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव, राजस्व विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव